जनसहभागिता कार्यक्रम, पुलिस कर्मियों का व्यवहार

Content

Time: 90 min

1. पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम स्थाई आदेश संख्या 11/2018 क्रमांक– 112 दिनांक–17.05.2018
2. पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम, क्रमांक 153 दिनांक 26.06.2018
3. पुलिस जनसहभागिता कार्यक्रम स्थाई आदेश 11/2018 के क्रम में निर्देश, क्रमांक 196 दिनांक 26.07.2018
4. जन सहभागिता स्थाई आदेश 11/2018 के क्रम में निर्देश, क्रमांक 99 दिनांक 06.02.2019
5. पुलिसकर्मियों के व्यवहार के संबंध में परिपत्र क्रमांक– 236 दिनांक–18.02.2019
6. सन्देश (पुलिस कर्मियों के व्यवहार के संबंध में) क्रमांक 133–280 दिनांक 10.01.2005

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : व–15 (1) कम्यूनिटी पुलिसिंग / जनसहभागिता / 18 / 112

दिनांक : 17 मई, 2018

स्थाई आदेश सं. 11 / 2018

विषय :– पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम

आम जनता का विश्वास व सद्भावना अर्जित करने के लिए पुलिस एवं जनता के मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद आवश्यक है। इससे न केवल आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होता है अपितु पुलिस की कार्यशैली एवं कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। साथ ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास में अभिवृद्धि होती है। अतः पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम को एक अभियान के बजाय नियमित कार्यक्रम के रूप में निरन्तर एवं सतत् रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है।

➢ उद्देश्य :–

(क) पुलिस के सहयोगियों को चिन्हित करना एवं जन सहभागिता के लाभों को आम जनता के मध्य प्रचारित–प्रसारित करना।

(ख) आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की सूचनाएं व जानकारी प्राप्त कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ग) लोक न्यूसेन्स एवं जनहित के मामलों का अविलम्ब निराकरण करना।

(घ) पुलिस विभाग से संबंधित जनता की शिकायतों से अवगत होना एवं उनका समाधान सुनिश्चित करना।

➢ निर्देश :–

1. थाना क्षेत्र में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रम की जानकारी यथोचित समय पूर्व संबंधित ग्राम अथवा वार्ड क्षेत्र के लोगों को दी जाए, जिससे कार्यक्रम में क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हो सके।

2. कार्यक्रम के समय संबंधित ग्राम या क्षेत्र की ग्राम अपराध पंजिका (VCNB), हिस्ट्री शीट्स, राउडी शीट्स व अन्य पेंण्डिग कार्य से संबंधित रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाएं, जिससे उनमें अंकित सूचनाओं का सत्यापन, अपडेशन एवं लम्बित कार्य का कार्यक्रम के दौरान मौके पर ही निस्तारण किया जा सके।

3. जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित निवासियों को सम्बोधित करते समय पुलिस व जनता के बीच बेहतर संबंध एवं समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया जाए और उनसे सहयोग की अपील की जाए। विद्यालयों एवं अन्य स्थानीय महत्वपूर्ण संस्थाओं में जाकर नशा–मुक्ति, अपराध नियन्त्रण, यातायात नियमों के पालन आदि के संबंध में जागरूकता पैदा की जाए।

4. कार्यक्रम के दौरान ऐसे स्थानीय मुद्दों अथवा विवादों की जानकारी जुटाकर निवारक कार्यवाही करवाई जावे जिनमें समय रहते समुचित कार्यवाही नहीं होने का परिणाम भविष्य में हिंसक अथवा आपराधिक रूप ले सकता है। इसी प्रकार उपस्थित लोगों से स्थानीय पुलिसिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाकर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

5. वर्तमान समय में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.वी. केमरों का प्रयोग अपराधों की रोकथाम व अन्वेषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अतः पूर्व में स्थापित केमरों का सतत् संचालन सुनिश्चित किया जाए और अपराध व कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील स्थल चिन्हित किये जाकर विभागीय स्तर अथवा सामुदायिक प्रयासों से केमरे लगवाये जाएं।

6. पुलिस विभाग द्वारा संचालित सभी सामुदायिक योजनाओं उदाहरणतः ग्राम रक्षक दल, किशोर सशक्तिकरण, बाल मित्र पुलिस योजना, नशा मुक्ति अभियान, सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.), सजग पड़ौसी योजना, स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना, छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना, महिला एवं बाल डेस्क, पुलिस परामर्श एवं सहायता केन्द्र इत्यादि की जानकारी उपस्थित जनसमुदाय को दी जाए।

7. साइबर अपराध, सम्पत्ति संबंधी अपराध, लुभावने वादों से की जाने वाली धोखा–धड़ी आदि से सम्बन्धित अपराध और उनसे बचाव सम्बन्धी सावधानियों के बारे में क्षेत्र के निवासियों को सचेत एवं जागरूक किया जाए।

8. क्षेत्र विशेष की विशिष्ट स्थानीय समस्याओं के अनुरूप यथा सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध लोगों, अफीम उत्पादक जिलों में मादक पदार्थ तस्करों, हरियाणा व पंजाब के सीमावर्ती जिलों में शराब तस्करों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में गौ–तस्करों, वाहन चोरों आदि की सूचियां बनाई जाकर उन पर निगरानी रखी जाए और समय–समय पर सूचियों को अपडेट किया जाए।

9. जन साधारण को यातायात के मुख्य–मुख्य नियमों के बारे में जानकारी दी जाए एवं यातायात प्रबंधन, आवश्यकतानुसार पार्किंग स्थलों के चिन्हिकरण, दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर बचाव सम्बन्धी उपाय, रोड लाईट दुरूस्तीकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

10. समस्त शहरों में जहां यातायात के अधिकारीगण पदस्थापित हैं वे अपने स्तर पर पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम चलाएं। यातायात पुलिस उक्त कार्यक्रम के दौरान टैक्सी, ट्रक यूनियनों, बस ऑपरेटर यूनियन, रोडवेज प्रबन्धन, स्कूल–कॉलेज आदि में सम्पर्क कर वाहन चालकों एवं छात्र–छात्राओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से वाहन चलाने हेतु यातायात नियमों की जानकारी दी जाए।

11. जीआरपी स्टाफ भी इस जन सहभागिता कार्यक्रम में शामिल होकर रेल यात्रियों की समस्याओं के निराकरण एवं रेलगाड़ियों में हो रहे अपराधों के संबंध में यात्रियों को सतर्क करने की कार्यवाही करें।

➢ क्रियान्वयन :–

1. जन सहभागिता कार्यक्रम के अनुसरण में प्रत्येक थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में सप्ताह में दो कार्यक्रम विभिन्न स्थानों ग्राम/ वार्ड में आयोजित करेंगे। इस तरह थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम/ वार्ड में जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

2. वृताधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त अपने वृत क्षेत्र में संबंधित थानों, द्वारा आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में सप्ताह में दो कार्यक्रमों में अवश्य भाग लेंगे।

3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में माह में न्यूनतम चार कार्यक्रमों में अवश्य भाग लेंगे।

4. जिला पुलिस अधीक्षक/ उपायुक्त पुलिस जिले में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में माह में न्यूनतम चार कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

5. रेंज स्तर पर रेंज महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त उक्त कार्यक्रम का निरन्तर एवं प्रभावी सुपरविजन करेंगे।

6. पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कम्यूनिटी पुलिसिंग) उक्त जन सहभागिता कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

7. जन सहभागिता कार्यक्रम में की गई कार्रवाई की सूचना पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे जाने वाले निर्धारित मासिक गोपनीय अर्द्ध–शासकीय पत्र (MCDO) के बिन्दु संख्या–10 सामुदायिक सम्पर्क समूह में (अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त) निम्न प्रोफार्मा में प्रेषित की जाए।